

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-2/2015/2236/सोलह-2-2014-18(ई)/2014
लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2015

नियुक्तिविज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, 30प्र0 में प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, 30प्र0 की संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निम्नलिखित तालिका के कालम-4 में उल्लिखित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	नाम /पिता का नाम	स्थायी पता	तैनाती संस्था का नाम
1	2	3	4
1-	श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री राजमणि यादव	ग्राम-बारीगाँव बदलूपुर, पोस्ट-बारीपुर डीह, थाना-इरसठी, जिला-जौनपुर, 30प्र0	राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर
2-	श्रीमती प्रियंका यादव पत्नी श्री संतोष कुमार यादव	ग्राम-सोनहरिया, थाना- करण्डा, जिला-गाजीपुर, 30प्र0	राजकीय पालीटेक्निक, बदायूँ
3-	श्री अमित कुमार राठौर पुत्र श्री रवीन्द्र कुमार राठौर	ग्राम व पोस्ट-याकूबपुर जिला-औरिया, 30प्र0 206255	राजकीय पालीटेक्निक, लखीमपुर खीरी
4-	श्री मृदुल कुमार पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह	ग्राम-नगला फेरती, जिला-मैनपुरी, 30प्र0	राजकीय पालीटेक्निक, फिरोजाबाद
5-	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री अमर सिंह	मो0नं0-05, निकट होली चौक बिल्सी, तहसील-बिल्सी, थाना-बिल्सी, जिला- बदायूँ, 30प्र0	राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर

- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- उपर्युक्त अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्त अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- इन अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।